चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १३२वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक २५.०६.२००७
सभास्थल - कुलपति का सभाकक्ष
समयः १२:०० मध्यान्ह

<u>उपस्थिति</u> :-

१.	**प्रो० (डा०) वी०के० सूरी,** कुलपति	अध्यक्ष
२.	**डा० मसऊद अली,** निदेशक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	सदस्य
३.	**डा० रमेश यादव,** पूर्व उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
५.	**श्री बी०आर० सिंह,** अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल	सदस्य/ प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
६.	**श्री संत बी०एस० यादव,** ७६ खत्राना, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	सदस्य
७.	**श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल,** १३३/१७२ पी, ट्रान्सपोर्ट नगर, सेन्ट्रल बैंक के सामने, कानपुर नगर - २०८ ०२३	सदस्य
८.	**श्री जय सिंह यादव,** सदस्य विधान परिषद, ६२ रायराम चरनदास रोड, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	सदस्य
९.	**डा० एस०एस० यादव,** ग्रा०-टोडरपुर, पो०-खेताबपुर, वाया-जखनिया, थ्जला-गाजीपुर	सदस्य
१०.	**श्रीमती उर्मिला राजपूत,** पूर्व विधायक, पल्ला-गल्ला मंडी, फर्रूखाबाद	सदस्य
११.	**श्रीएल०बी० सिंह,** संयुक्त कृषि निदेशक (शोध), कृषि निदेशालय, लखनऊ	सदस्य/निदेशक कृषि के प्रतिनिधि
१३.	**प्रो० (डा०) आर०के० दीक्षित,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

मद संख्या १ : **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक १६.४.२००७ को सम्पन्न हुई १३१वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।**

प्रबन्ध मण्डल ने १३१वीं बैठक दिनॉक १६.४.२००७ की कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि कर दी।

मद संख्या २ : **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १३१वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

प्रबन्ध मण्डल की १३१वीं बैठक दिनॉक १६.४.२००७ में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल ने संतुष्टि व्यक्त की।

प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक के अन्य निर्देशः बिन्दु-१ के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत आख्या पर प्रबन्ध मण्डल ने विचार किया। प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति महोदय की आख्या/संस्तुति पर सहमति व्यक्त करते हुए डा० एम०एम० अग्रवाल के सम्बन्ध में डेरोगेटरी रिमार्कस समाप्त करने का निर्णय लिया।

बिन्दु-६ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने समस्त प्रक्षेत्रों की वास्तविक स्थिति तथा प्रक्षेत्रवार बैलेन्स शीट्स अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बिन्दु-८ के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। अर्थ नियन्त्रक द्वारा बताया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष, उद्यान विज्ञान विभाग से कतिपय सूचनाऐं मांगी गयी हैं, सूचना प्राप्ति उपरान्त अग्रिम कार्यवही सम्पन्न की जायेगी।

बिन्दु-१० एवं १६ पर प्रबन्ध मण्डल ने सहमति व्यक्त किया।

बिन्दु-१२ कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत वर्ष २००४ में हुए साक्षात्कार पर बन्द लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने मा० उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद संख्या ३ : **वित्तीय वर्ष २००७-०८ के आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के चार माहों के लिए व्यय की स्वीकृति।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ४ : **कृषि अभियंत्रण संकाय इटावा में संविदा (अनुबन्ध) पर कार्यरत फैकल्टी कन्सलटेन्ट को दी जाने वाली नियत धनराशि रू० ८०००/- से रू० १००००/- प्रतिमाह बढाये जाने संबंधी प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा निर्देशित किया कि प्रत्येक वर्ष शिक्षण सत्र से पूर्व चयन प्रक्रियानुसार नियुक्ति की जाय।

२१.०७.०७ (signature)

मद संख्या ५	:	**डा० (श्रीमती) रितु पान्डेय को गृह विज्ञान विभाग के रिक्त पद सहायक प्राध्यापक (वस्त्र एवं परिधान), वेतनमान ८०००-१३५०० के सापेक्ष अधिसूचना दिनांक ५ अप्रैल २००६ की धारा २६ (क) के प्राविधानानुसार नियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने बहुमत से प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा निर्देश दिया कि नियुक्ति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से मान्य होगी। मा० सदस्य डा० मसऊद अली (निदेशक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान) एवं श्री बी०आर० सिंह (अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन) ने कहा कि शासन से पद परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्ति उपरान्त ही नियुक्ति पर विचार किया जाय।

मद संख्या ६	:	**उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण "सरकारी गजट" में उल्लिखित अधिसूचना सं०३६१/सात-वि०-१-०१(क)-१३- २००६ दिनांक ५.४.०६ के २६(क) के प्राविधानानुसार डा० (श्रीमती) मीरा श्रीवास्तव व अन्य रिसर्च एसोशियट को (जिन पदो के विरूद्ध प्लान की योजनाओं में नियत वेतन रू० १२०००/-प्रति माह पर कार्य कर रहें है) उन्हीं पदो पर नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा निर्देश दिया कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति की तिथि को निर्धारित योग्यता पूर्ण करते हैं तभी नियमित नियुक्ति की जाय।

मद संख्या ७	:	**चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा संस्तुति यू०जी०सी० वेतनमान रू० ५००-९०० के पुनरीक्षित वेतनमान रू० १७४० -३००० से वंचित शोध सहायक संवर्ग के समकक्षीय पदों पर नियुक्त को दिनांक १. १.८६ से अथवा नियुक्ति की दिनांक जो भी बाद में हो, से महामहिम कुलाधिपति के पत्र दिनांक ३०.५.२००६ के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान रू० १७४०-३००० की अनुमन्यता पर विचार का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल के संज्ञान में आया कि सम्बन्धित अभ्यर्थी पुनरीक्षित वेतनमान की योग्यता धारण नही करते हैं अतः प्रबन्ध मण्डल ने इनके सम्बन्ध में शासन को समयमान वेतनमान देने हेतु पत्र लिखने का निर्देश दिया।

मद संख्या ८	:	**विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-८ (ए) में विश्वविद्यालय के जिन पदधारियों को अधिकारियों एवं प्राधिकारियों (Officers & authorities of the University) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है उनमें अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, अधिष्ठाता संकाय, निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र एवं निदेशक प्रसार (यू०जी०सी० वेतनमान) भी सम्मिलित किये गये हैं, को शिक्षक/वैज्ञानिक की श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति तथा शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या ९	:	**गृह विज्ञान संकाय की पी-एच०डी० छात्राओं को फैलोशिप स्वीकृत करने पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या १० : **संयुक्त प्रवेश परीक्षा - २००७ में देय पारिश्रमिक/ मानदेयों की वृद्धि पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या ११ : **वानिकी संकाय (College of Forestry) सत्र २००७-०८ से प्रारम्भ करने के संबंध में।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया तथा निर्देश दिया कि जब तक शासन से पदों एवं उनके भरने की स्वीकृति नही प्राप्त होती है तब तक विश्वविद्यालय में कार्यरत स्टाफ तथा बाहर से अनुबन्ध पर शिक्षक लेकर कार्य चलाए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

मद संख्या १२ : **उद्यान विज्ञान संकाय (College of Horticuture) सत्र २००७-०८ से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया तथा निर्देश दिया कि जब तक शासन से पदों एवं उनके भरने की स्वीकृति नही प्राप्त होती है तब तक कार्यरत स्टाफ तथा बाहर से अनुबन्ध पर शिक्षक लेकर कार्य चलाएं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

मद संख्या १३ : **तिलहन शोध प्रक्षेत्र एवं नवीन दुग्धशाला प्रक्षेत्र कल्यानपुर, कानपुर की भूमि सडक चौडी करने हेतु आवास विकास, कानपुर को उपलब्ध कराने पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि सडक के किनारे दोनो तरफ आवास विकास द्वारा पक्की दीवार की बाउन्ड्री बनवा दी जाय तथा इस हेतु Specifications विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएं।

मद संख्या १४ : **अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं छात्रावासों के वार्डेन को उपलब्ध कराई गई अनुमन्य सुविधाओं के समान सह अधिष्ठाता/सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पद पर कार्यरत व्यक्ति को भी सुविधायें अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा यह निर्देश दिया कि यदि इस तरह के और भी प्रकरण हैं तो उन्हें भी यह सुविधा दी जाय।

मद संख्या १५ : **प्रबन्ध मण्डल की १३१वीं बैठक दिनॉक १६.४.२००७ के मद संख्या- १० में दिये गये निर्देश के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के उपार्जित/ चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति कुलपति महोदय में निहित करने का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया और प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित करने का निर्देश दिया।

मद संख्या १६ : **सरकुलर संख्याःसीएसयूई-७६६/२००७ दिनाँक ६.१.२००७ एवं संशोधन परिपत्र संख्याःसीएसयूई- ७६०/२००७ दिनाँक ११.१.२००७ के द्वारा चक्रित अधिष्ठाता, कृषि संकाय के पद पर हुए साक्षात्कार एवं चयन समिति की संस्तुति का सीलबन्द लिफाफा खोलकर नियुक्ति के अनुमोदन का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने लिफाफा खोलकर चयन समिति की सुस्तुति को अनुमोदित किया तथा संस्तुति के आधार पर अधिष्ठाता, कृषि संकाय के पद पर डा० ए०एन० तिवारी, प्राध्यापक की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया।

मद संख्या १७ : **श्री अनिल कुमार साहू, सह प्राध्यापक, सिविल इंजी० बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा का तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत किया तथा सेवा समाप्ति करने के निर्णय को अनुमोदित किया।

मद संख्या १८ : **इं० प्रदीप कुमार सिंह भदौरिया को बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में सृजित/रिक्त सहायक प्राध्यापक (फार्म बिल्डिंग एण्ड कान्सट्रक्शन) के पद वेतनमान रु० ८०००-१३५०० में अधिसूचना संख्या-३६१/सात- वि०-१-०१ (क) १३-२००६ दिनाँक ५.४.०६ की धारा २६(क) के प्राविधानानुसार नियमित नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर पुनः परीक्षण कर परीक्षणोंपरान्त प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या १६ : **डा० आर०एल० श्रीवास्तव, प्राध्यापक, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अलसी परियोजना में ''परियोजना समन्वयक'' के पद पर कार्यरत हैं, को ३ वर्ष का धारणाधिकार बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या २० : **डा० ए०के० सिंह, सह निदेशक प्रसार, प्रसार निदेशालय जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समन्वयन इकाई जोन चतुर्थ में जोनल कोआर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं, का ३ वर्ष का धारणाधिकार बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या २१ : **याचिका संख्या-१४३७(एस/वी)/०२ तथा याचिका संख्या-१५६१ (एस/वी)/०२ के निर्णय दिनाँक २८.८.०६ एवं याचिका संख्या-१६३० (एस/वी)/०२ पारित निर्णय दिनाँक ०५.१०.०६ के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-११४४/६७-कृ०शि०अ०-०७-३० (२२)/०४ टीसी दिनाँक २३.०५.०७ के क्रम में शोध सहायक संवर्ग के वेतनमान रु० १७४०-३००० में कार्यरत याचीगणों के शैक्षणिक अभिलेखों का अधिष्ठाता कृषि संकाय समिति द्वारा पुर्न परीक्षणोंपरान्त अर्ह पाये गये याचीगणों को मा० विद्वत परिषद की ६९वीं बैठक दिनाँक १९.६.०७ की संस्तुति के उपरान्त दिनाँक ८.१.०१ से शिक्षक घोषित किये जाने का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया तथा अन्य बचे हुए शोध सहायक, जो योग्यता पूर्ण करते हैं उन्हें सहायक प्राध्यापक का वेतनमान देने हेतु प्रबन्ध मण्डल की संस्तुति के साथ शासन को पत्र लिखने का निर्णय लिया।

मद संख्या २२ : **विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा "Exploitation of microbes for the management of important fungal pathogens of Agaricus bisporus (white button mushroom)".**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या २३ : **प्रगति आख्या (जनवरी २००७ से जून २००७ तक)।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रगति आख्या पर संतुष्टि व्यक्त की।

मद संख्या २४ : **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**

मद संख्या २४ पूरक-१ : **डा० भारत सिंह, प्रोफेसर, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग की नियुक्ति सदस्य, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद के पद पर हो जाने के फलस्वरूप उन्हें धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या २४ पूरक-२ : **माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को विश्वविद्यालय में तकनीकी पदों में कार्यरत कर्मचारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में सूचना।**

प्रबन्ध मण्डल ने अवर अभियन्ता/प्राविधिक सहायकों की प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में परीक्षण कर प्रोन्नति करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया।

मद संख्या २४ : पूरक–३

सहायक अभियन्ता (क्राप रिसर्च) वेतनमान रु० ८०००–१३५०० के पद को सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रानिक्स) वेतनमान रु० ८०००–१३५०० में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया कि शासन से पदनाम परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

मद संख्या २४ : पूरक–४

विश्वविद्यालय के यूनीवर्सिटी इंजीनियर (निदेशक निर्माण) पद पर शासन से अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया।

मद संख्या २४ : पूरक–५

उ०प्र० शासन के विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के दूरस्थ शिक्षा के सम्बन्ध में निर्गत पत्रॉक १५६०(१)/६७–कृ०शि०अ०– ७–४०० (५२)/०५ दिनॉक ४.५.२००७ में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि शासन द्वारा कराई गयी जॉच की जॉच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाय तदोपरान्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

{प्रो० (डा०) वी०के० सूरी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{आर०के० दीक्षित}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल